न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय म.प्र.राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल.

निगरानी प्रकरण क्र......./17

III/निगरानी/सीहोर/भू.रा/2017/4461

श्रीमती अनिता पत्नी मनीराम जाट आयु वयस्क
कृषक ग्राम शाहजहांपुर टप्पा दौराहा तहसील श्यामपुर
जिला सीहोर निवासी ग्राम तारासेवनिया
तह.हुजूर जिला भोपाल म.प्र. .... .निगरानीकर्ता

विरूद्ध

वीरेन्द्र सिंह आ.हजारीलाल दांगी आयु वयस्क
कृषक ग्राम शाहजहांपुर टप्पा दौराहा तहसील श्यामपुर
निवासी ग्राम हथियाखेड़ा तहसील श्यामपुर
जिला सीहोर म.प्र. ....प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 05/07/2017 जो प्रकरण क्रमांक 13/अ–12/2016–17 में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा दौराहा द्वारा पारित किया गया।

श्रीमान जी,

निगरानीकर्ता आलोच्य आदेश से दुखी एवं प्रभावित होकर निम्न तथ्य एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करता हैं –

–:: तथ्य ::–

1. यह कि निगरानीकर्ता के स्वत्व व आधिपत्य में ग्राम शाहजहांपुर टप्पा दौराहा तहसील श्यामपुर में भूमि सर्वे नं.200/2 एवं 200/3, 201/2, 201/3 स्थित है।

2 यह कि उक्त भूमि निगरानीकर्ता द्वारा प्रतिनिगरानीकर्ता के भाई से पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय कर मौके पर आधिपत्य प्राप्त किया तभी से निगरानीकर्ता का आधिपत्य चला आ रहा है जिसमें निगरानीकर्ता द्वारा अपना ट्यूबवेल भी लगवाया गया है तथा फसल लाभ ले रही है।

3. यह कि प्रतिनिगरानीकर्ता के मन में आवेदिका के ट्यूबवेल में निकले पानी को देखकर लालच व दुर्भावना उत्पन्न होने पर उसने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर बटन गलत डलवाकर निगरानीकर्ता के स्वत्व आधिपत्य की भूमि को अपने नाम दर्शाकर मिथ्या आधारों पर सीमांकन कराया जाना बतलाया

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक II/निगरानी/सीहोर/भू-रा./2017/4461 जिला - सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी नायब तहसीलदार, टप्पा दौराहा, तहसील श्यामपुर जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-07-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार टप्पा दौराहा, तहसील श्यामपुर जिला सीहोर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, सीहोर को भेजा जाता है । कलेक्टर, सीहोर प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 22-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	